इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी 2018—फाल्गुन 1, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2018

क्रमांक एफ-ए-6-01-2017-एक (1).—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना दिनांक 8 सितम्बर 2016 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली 2016 जारी की गई है, इसमें अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, प्रशासकीय सदस्य एवं सदस्य राजस्व बोर्ड को निम्नानुसार वेतन देय है:—

1.	अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	वेतन मेट्रिक्स का स्तर-17
2.	प्रशासकीय सदस्य, राजस्व बोर्ड	वेतन मेट्रिक्स का स्तर-15
3.	सदस्य, राजस्व बोर्ड	वेतन मेट्रिक्स का स्तर-14

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973 के नियम 4 में यह प्रावधान है कि "आयोग के अध्यक्ष, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश के अध्यक्ष को प्राप्त ऐसे वेतन के समतुल्य वेतन प्राप्त करेगा और अन्य प्रत्येक सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश के प्रशासकीय सदस्य के वेतनमान के समतुल्य ऐसे वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा जो कि समय-समय पर मंजूर किया जाए, वेतनमानों का पुनरीक्षण होने पर नये वेतनमान में आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के वेतन निर्धारण के लिये वही नियम/निर्देश लागू होंगे जो राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश के अध्यक्ष/प्रशासकीय सदस्यों के लिये लागू किये जाएं.".

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भारतीय प्रशासकीय सेवा (वेतन) नियमावली 2016 की अनुसूची-III के अनुसार क्रमश: वेतन मेट्रिक्स 17 एवं 15 स्वीकृत किया जाता है. वेतनमान निर्धारण की शर्तें वही होंगी जो उक्त नियमावली में वर्णित हैं.

यह अधिसूचना वित्त विभाग की यू.ओ. टीप क्रमांक 336/263/18/वित्त/नियम/चार, दिनांक 15-2-2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के पश्चात् जारी की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.